राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
(E mail :DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel. 2227033)

क्रमांकः एफ.61(64) SSAAT / कलैण्डर / 2020–21 / 6490 – 11 जयपुर दिनांक 18/02/22

(आदेश कमांक 86 / 2022)

जिला कलक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा),
समस्त।

विषयः–वर्ष 2019–20 में शेष बची ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण कराने बाबत।

संदर्भः– इस कार्यालय का आदेश कमांक एफ.61(64)SSAAT/ कलैण्डर / 2020–21 / 6236–57 दिनांक 9.2.2022 (आदेश सं. 80 / 2022), समसंख्यक आदेश कमांक 6267–87 दिनांक 10.2.2022 (आदेश संख्या 81 / 2022), आदेश कमांक 6341–58 दिनांक 11.2.2022 (आदेश संख्या 83 / 2022), आदेश कमांक 6310–31 दिनांक 11.2.2022 (आदेश संख्या 84 / 2022)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेशों के कम में लेख है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2019–20 की समस्त ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना आवश्यक है। इसकी तैयारियों के लिए पूर्व आदेश कमांक 6341–58 दिनांक 11.2.2022 (आदेश संख्या 83 / 2022) जारी कर आप सबसे आग्रह किया गया था । इसी कम में वर्ष 2019–20 की शेष बची हुई ग्राम पंचायतों के सामाजिक अंकेक्षण हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाकर आपके द्वारा अविलंब कार्यवाही अपेक्षित है :–

1. **अवधि** :– आपके जिले की पंचायत समितियों की चयनित ग्राम पंचायतों में वर्ष का 2019–20 से 2020–21 के प्रथम / द्वितीय छःमाही एवं वर्ष 2021–22 के प्रथम छःमाही (1 अप्रेल, 2021 से 30 सितम्बर, 2021) तक के पूर्ण, अपूर्ण व प्रगतिरत समस्त कार्यों एवं प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) का वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 का माह मार्च 2022 में सामाजिक अंकेक्षण कार्य संपादित किया जाएगा। यदि किसी भी कारण से मनरेगा का दि0 30.09.2021 से पूर्व की अवधि का अथवा अब तक किसी ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण अभी तक नहीं हुआ है तो पूर्व की अवधि से लेकर दि0 30.09.2021 तक की अवधि में करवाए गए / करवाए जा रहे समस्त कार्यों (पूर्ण, अपूर्ण अथवा प्रगतिरत समस्त कार्यों) का भी सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा।
2. **कैलेण्डर** :– आपके जिले की वर्ष 2019–20 की दिनांक 3 से 9 मार्च, 2022 के लिये जारी कैलेण्डर वाली ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त शेष बची हुई समस्त अनअंकेक्षित (Unaudited) ग्राम पंचायतों की पहचान कर ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के नाम सहित सूचना निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण (SSAAT) को दिनांक 22.2.2022 तक भिजवाने का श्रम करें ताकि इन ग्राम पंचायतों का कलैण्डर्स जारी करवा कर नरेगा सॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड करवाया जा सके।

   इन सभी ग्राम पंचायतों का नियमित सामाजिक अंकेक्षण दिनांक 21 से 31 मार्च,2022 के मध्य सम्पादन कराया जाना है।
3. **दीवार लेखन (Wall painting)** :- इन बकाया सभी ग्राम पंचायतों में दीवार लेखन कार्य 08 मार्च, 2022 तक कराया जाना सुनिश्चित करावें। इस संबंध में कार्यालय का आदेश कमांक 6310–31 दिनांक 11.2.2022 (आदेश संख्या 84 / 2022) में विस्तृत दिशा निर्देश उपलब्ध है।
4. **अन्य दिशा निर्देश** – शेष सभी दिशा निर्देश इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्रों (नियत तिथियों के अलावा) के अनुसार लागू रहेंगें।

(के.के. पाठक)
शासन सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांकः एफ.61(64) SSAAT /कलैण्डर/2020-21/6490-11 जयपुर दिनांक 18/02/22

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव,श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान
2. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान
3. विशिष्ठ सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान
4. वरिष्ठ उप सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
5. महा निदेशक राजस्थान पुलिस, जयपुर।
6. निजी सचिव, श्रीमान शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सह अध्यक्षा, कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं स्वंतत्र पर्यवेक्षक के रूप में कार्य सम्पादन कराने हेतु।
9. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, मनरेगा डिविजन/PMAY(G) डिविजन ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली
10. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सह सदस्य सचिव, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर
12. निजी सचिव, आयुक्त मनरेगा को भेजकर निवेदन है कि जारी कलैण्डर्स के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट्स अपलोड कराने, प्राप्त रिपोर्ट्स की अनुपालनाएँ भिजवाने और सम्पादित किये गये कार्य के मानदेय भुगतान अविलम्ब (ब्लॉक संसाधन व्यक्ति/ग्राम संसाधन व्यक्ति) को करवाकर रिपोर्ट निदेशक, SSAAT को भिजवाने हेतु जिलों को निर्देशित कराने का श्रम करें।
13. निजी सचिव, निदेशक, पंचायराज विभाग को भेजकर लेख है कि ग्राम सभाओं के आयोजन बाबत उपयुक्त दिशा निर्देश जारी करावें।
14. निजी सचिव, निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
15. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान, को भेजकर निवेदन है कि आवश्यकता होने पर सामाजिक अंकेक्षण दलों को उचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
16. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गाँधी नरेगा एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त को पालनार्थ।
17. कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) एवं ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति, समस्त को पालनार्थ।
18. उप निदेशक, लेखाधिकारी (प्रशासन) / लेखाधिकारी (सामा.अंके.), सहायक लेखाधिकारी (समस्त)/ कनिष्ठ लेखाकार (समस्त) एवं समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) को पालनार्थ।
19. प्रोग्रामर/सूचना सहायक, SSAAT को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कलैण्डर्स, रिपोर्ट्स, अनुपालना (ATRs) रिपोर्ट्स एवं मानदेय भुगतान की स्थिति आदि समस्त सूचनाऐं नियमित रूप से नरेगा सॉफ्ट पर अपलोड होना सुनिश्चित करावें और सोसायटी की वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
20. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क, ग्रामीण विकास विभाग
21. रक्षित पत्रावली।

//
(रामावतार शर्मा)
निदेशक, SSAAT